

5. राजस्थान न्यूमोकोनोसिस (सिलिकोसिस) नीति, 2019

राजस्थान न्यूमोकोनोसिस (सिलिकोसिस) नीति, 2019 को राज्य फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया है।

 देय लाभ : 


- 1 न्यूमोकोनोसिस (सिलिकोसिस) रोग के प्रमाणीकरण पर राशि रु 03.00 लाख
- 2 न्यूमोकोनोसिस (सिलिकोसिस) रोगी की मृत्युपरांत परिवारजनों को राशि रु02.00 लाख
- 3 न्यूमोकोनोसिस (सिलिकोसिस) पीडित को पेंशन राशि रु 1500 प्रति माह

 न्यूमोकोनोसिस (सिलिकोसिस) विधवा पेंशन-  (प्रतिमाह)

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 55 वर्ष की आयु तक = रु 500 | 2 55 वर्ष - 60 वर्ष की आयु = रु 750 |
| 3 60 वर्ष - 75 वर्ष की आयु = रु 1000 एवं | 4 75 वर्ष से अधिक आयु = रु 1500 |

न्यूमोकोनोसिस (सिलिकोसिस) पीडित परिवार को पालनहार योजना में लाभ:-

- 1 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को राशि रु 500 प्रतिमाह
- 2 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक राशि रु 1000 प्रतिमाह

 प्रत्येक बच्चे को 2000 रुपये की वार्षिक एकमुश्त सहायता

न्यूमोकोनोसिस (सिलिकोसिस) पीडित एवं उसके परिवार को आस्थाकार्डधारी परिवार के समान समस्त BPL सुविधाओं यथा NFSA आदि से लाभान्वित किया जाना।

 आवेदन की प्रक्रिया 

Silicosis.rajasthan.gov.in पर ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।